

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)

क्र.सं.	वृत्त या कार्यवाही
1.21	पत्रावली पेटा हुई। सशिको रिपोर्ट का अपीलेशन किया। अपील के साथ संलग्न गिगाद (अधिकार) की दफा-5 के प्रावधान पर पर अपीलान्त (अभि.) को सुना गया। अपील subject to elimination के रजिस्टर की जाये। प्रस्ताव तारीख हेतु पत्रावली वास्तव सम्मत जारी किसे जाकर पत्रावली दिनांक 17.0.21 को पेटा हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर
17 ⁰ / ₂₁	राजस्व प्रकरण न बार एग्रीसिमेंट के निर्देश के बाद कार्य स्थगित किया गया है। पत्रावली पूर्व प्रस्तावना के तहत दिनांक 21.9.21 को पेटा हो।
21 ⁹ / ₂₁	पत्रावली पेटा हुई। वकील अपीलान्त उपर पत्रावली वास्तव तलकी हेतु दि. 2.11.21 को पेटा हो।
2 ¹¹ / ₂₁	राजस्व प्रकरण न बार एग्रीसिमेंट के निर्देश के बाद कार्य स्थगित किया गया है। पत्रावली पूर्व प्रस्तावना के तहत दिनांक 9.11.21 को पेटा हो।
9 ¹¹ / ₂₁	पत्रावली पेटा हुई। अतिरिक्त अपीलान्त उपर (अपी.) अति. के निर्देश किया गया कि अपील अथवा अपील को आगे नहीं चलाया जायता है अतः अपील इसी स्तर पर NOT PRESS में रखा जाकर ही जाये। सहमत हेतु अपील अतिरिक्त के द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर की किसे जाये। अपीलान्त के अतिरिक्त के निर्देश पर अपील अपीलान्त इसी स्तर पर NOT PRESS में रखा जाये। पत्रावली प्रस्ताव वास्तव होकर, नम्बर से वस की जाकर बाद तलकील आहवा वास्तव के जाये।

पत्रावली
347
7-7-21
जोड़ित जारी
351-53
7-7-21

Not Press
Signature